न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 294 / 2018

प्रार्थी	अप्रार्थी
1 समस्त बावरी समाज ग्राम अटबडा जरिये प्रतिनिधि 1 तेजाराम पुत्र लाबुराम 2. गुलाबराम पुत्र मंगलाराम 3. गुलाबराम पुत्र केसाराम 4. भादुराम पुत्र पुराराम 5. भबूतरा पुत्र भीकाराम 6. थानाराम पुत्र जसाराम 7. नेमाराम पुत्र मांगीलाल 8. विरमराम पुत्र मांगीलाल 9. पेमाराम पुत्र पनाराम 10 प्रभुराम पुत्र गुणेशराम 11 चम्पालाल पुत्र गोपाराम	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत। 2. राजेश सांखला पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नयापुरा सोजत सिटी जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 03/12/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत के अन्तर्गत धारा 131, 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम अटबडा में खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन श्मशान की भूमि है, जो प्रार्थीगण के बावरी समाज के पुश्तैनी कब्जा सुद स्थित है। जिस भूमि का मौजूदा नक्शे में कम रकबा बताया गया है। जबकि शुरू से आज दिन तक उक्त भूमि का रकबा 0.2200 हैक्टर बताया गया है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने नक्शा बनाते वक्त भूल से सेवन से नक्शा छोटा बना दिया हैं। जिस कारण हमेशा मौके पर वाद विवाद होता रहता है और इसका नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 623 के खातेदार राजेश सांखला ने नाजायज तरीके से खसरा नम्बर 624 के रकबे को अपने खसरा नम्बर 623 में मिलाकर मौके पर अवैध अतिकमण कर दिया है व कृषि कार्य कर रहा है। जिससे मौके पर भारी वाद विवाद उत्पन्न हो गया है तथा प्रार्थीगण के दलित समाज के साथ द्वेष भावना रखकर न्याय से वंचित कर रहे है व प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे मुकदमे कर प्रार्थीगण को तंग परेशान किया जा रहा है। इसलिये खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन श्मशान की भूमि के वर्तमान नक्शे में सही रकबा दर्शा कर नक्शा में दुरूस्ती कर शुद्धी किया जाकर मौके पर पत्थर गढ्ढी की जाना कानुनन आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थना विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर सरहद मौजा अटबडा के खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हैक्टर किस्म गैर मुमकिन श्मशान की भूमि के वर्तमान नक्शे में सही रकबा दर्शा कर नक्शा में दुरूस्ती कर शुद्धी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम अटबडा तहसील सोजत में स्थित है अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। पैरा संख्या 02 कानूनी है। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस बाद तामिल पत्रावली में सा0मि0 है। बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

प्रकरण में मौका व रेकर्ड की वस्तु स्थिति न्यायालय में पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा गया। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा अटबडा के वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गै0मु0 श्मशान सिवायचक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरे का ऑनलाईन डिजीटलाईज्ड नक्शानुसार रकबा 0.1400 हैक्टर बनता है। मौके पर रकबा कब्जा अनुसार 0.1250 है0 आता है। वर्तमान में मौके पर पडौसी खसरा नम्बर 623 के खातेदार राजेश सांखला पुत्र भंवरलाल जाति माली द्वारा तारबंदी की हुई है। उक्त खसरा नम्बर 623 का वर्तमान जमाबन्दी में रकबा 2.1600 हैक्टर दर्ज है। उक्त खसरे का ऑनलाईन डिजिटाईज्ड नक्शानुसार 2.22 हैक्टर बनता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया सरहद मौजा ग्राम अटबडा में खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन श्मशान की भूमि है, जो प्रार्थीगण के बावरी समाज के पुश्तैनी कब्जा सुदा स्थित है। जिस भूमि का मौजूदा नक्शे में कम रकबा बताया गया है। जबकि शुरू से आज दिन तक उक्त भूमि का रकबा 0.2200 हैक्टर बताया गया है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने नक्शा बनाते वक्त भूल से सेवन से नक्शा छोटा बना दिया हैं। जिस कारण हमेशा मौके पर वाद विवाद होता रहता है और इसका नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 623 के खातेदार राजेश सांखला ने नाजायज तरीके से खसरा नम्बर 624 के रकबे को अपने खसरा नम्बर 623 में मिलाकर मौके पर अवैध अतिक्रमण कर दिया है व कृषि कार्य कर रहा है। सरहद मौजा अटबडा के खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन श्मशान की भूमि के वर्तमान नक्शे में सही रकबा दर्शा कर नक्शा में दुरूस्ती कर शुद्धी किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत विधि अनुरूप निर्णय पारित किये जाने में कोई आपति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

तहसीलदार सोजत सूनी गई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने सरहद मौजा अटबडा में स्थित श्मशान की भूमि की तरमीम, राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा 0.2200 हैक्टर के अनुसार किए जाने व मौके पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने व श्मशान की भूमि का सिमांकन कर पत्थर गढी किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीत श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 624 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि का मौके पर कब्जा 0.1250 हैक्टर पर है तथा ऑन लाईन तरमिम 0.1400 हैक्टर की है, अर्थात जमावन्दी में दर्ज रकबा/कब्जा/ ऑनलाईन तरमीम तीनों में एकरूपता नहीं है। इसके अतिरिक्त 06 एयर भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के पास अधिक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 136, 110, 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है, जिसके तहत कब्जा सुपुर्दी की आज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर जमावंदी में दर्ज रकबा अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136, 110, 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम अटबडा के वर्तमान खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2200 हैक्टर की ऑनलाईन तरमीम जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.2200 हैक्टर अनुसार किए जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाता है। खसरा नम्बर 624 की सम्पूर्ण भूमि की कब्जा प्राप्ति / बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय से चाराजुही करने हेतु प्रार्थीगण स्वतंत्र हैं। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत